प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 2095 /खनिज लिपिक–एन0जी0टी0 आख्या/2023–24 दिनांक दिसम्बर 19,2023

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का विवरण/उत्तर का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आप अपने पत्र दिनांक 24.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का विवरण/उत्तर 04 सप्ताह में ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का विवरण/उत्तर तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

19 Dec 2023

(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का विवरण/उत्तर।

श्री नयाब, निवासी ग्राम अकबरपुर, पोस्ट इब्राहिमपुर, तहसील व जनपद कन्नौज प्रतिनिधि मखाईपुर ग्रामवासी व अन्य क्षेत्रीय ग्रामवासी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.05.2023, जो माननीय न्यायाधीश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली को सम्बोधित है। उक्त प्रार्थना–पत्र में मेसर्स एच0एम0 ईंट भट्ठा, कन्नौज रोड कुसुमखोर पर स्थित 2021 में अवैध रूप से बिना एन0ओ0सी0 के निर्माण किया गया, जबकि मखाईपुर गांव की आबादी क्षेत्र लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है, गांव की आबादी लगभग (1500) लोगों की है व अन्य गांव भी न्यूनतम दूरी पर है तथा प्राथमिक पाठशाला व धार्मिक स्थल मन्दिर लगभग (250) मीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त ईंट भट्ठा के खिलाफ कार्यवाही कर भट्ठा को बन्द किये जाने का उल्लेख किया गया। **(संलग्नक–1)**

उपरोक्त शिकायत के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–483/2023, नयाब एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 योजित हुई। उक्त योजित ओ0ए0 संख्या–483/2023, नयाब एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति का गठन किया गया। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 21.08.2023 द्वारा मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बांगर, तहसील व जनपद कन्नौज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईंट भट्ठा का संचालन बन्द पाया गया। उक्त निरीक्षण आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 04.09.2023 को रजिस्टार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। **(संलग्नक–2)**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–483/2023, नयाब एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 में जिलाधिकारी, कन्नौज का उत्तर प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

खान अधिकारी, कन्नौज द्वारा मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 28.11.2023 में उल्लेख किया गया कि "मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज के मुनीम श्री रहीस खॉ मौके पर उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा पर भट्ठा का संचालन नहीं पाया गया। मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज के मुनीम श्री रहीस खॉ को निर्देशित किया गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन ईंट भट्ठा का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द रखना सुनिश्चित करें।" **(संलग्नक–3)**

प्रयोगशाला सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात, सहायक

पर्यावरण अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात एवं उप जिलाधिकारी, सदर–कन्नौज द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 30.11.2023 को मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज को जारी बन्दी आदेश एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठा की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी तथा उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित रखने के निर्देश दिये गये। **(संलग्नक–4)**

खान अधिकारी, कन्नौज द्वारा मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 13.12.2023 में उल्लेख किया गया कि ''निरीक्षण के समय उक्त ईंट भट्ठा का संचालन नहीं पाया गया। मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज के प्रतिनिधि/मुनीम श्री रहीस खॉ को ईंट पथाई का कार्य कदापि न किये जाने एवं ईंट भट्ठा का संचालन बन्द रखने हेतु पुनः निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा दिनांक 30.11.2023 को ईंट भट्ठा पर जारी बन्दी आदेश के क्रम में ईंट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी है।'' **(संलग्नक–5)**

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज का संचालन पूर्णतया बन्द है।

प्रा0स0 (भूविज्ञान)/खान अधिकारी,
कन्नौज।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
कन्नौज।

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

HCP - 619 30/5/2023

सेवा में-

माननीय न्यायाधीश महोदय
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली

1344/LP/2023
30/05/23

✓BK

विषय -अवैध भट्टे को बंद कराने के संबंध में---

माननीय न्यायाधीश महोदय जी मेरे क्षेत्र, ग्राम- मखाईपुर, पोस्ट व मौजा-कुसुमखोर, जिला व तहसील- कन्नौज, (उत्तर प्रदेश) में .एच.एम .ईट भट्टा कन्नौज रोड कुसुमखोर पर स्थित 2021 में अवैध रूप से बिना .एन.ओ.सी.लिए निर्माण किया गया। जबकि मखाई पुर गांव की आबादी क्षेत्र लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। गांव की आबादी लगभग (1500) लोगों की है व अन्य गांव भी न्यूनतम दूरी पर स्थित हैं तथा प्राथमिक पाठशाला व धार्मिक स्थल मंदिर लगभग (250) मीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यह भट्टा .एन.जी.टी.द्वारा लागू किए गए नियमों के विरुद्ध है। महोदय जी इस भट्टे की शिकायत हमने कई बार उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड लखनऊ व कानपुर तथा जिला स्तर के अधिकारियों को की लेकिन वह सब तो केवल कार्यवाही का आश्वासन देते रहते हैं।अभी तक 2 वर्ष में कई शिकायतों के बाद भी भट्टा बंद नहीं कराया गया। भट्टा निर्माण के समय भी भट्टा मालिक समीम को प्रतिबंधित स्थान पर भट्टा लगाने के लिए हम लोगों ने मना किया था। तब भट्टा मालिक समीम का कहना था कि हम बिना .एन.ओ.सी.के इसी स्थान पर भट्टा चलाएंगे हम कानूनी प्रक्रिया से नहीं डरते हैं। तुम लोगों को जो भी करना हो वह कर लो महोदय जी यह भट्टा हम लोगों के लिए बहुत अहितकारी साबित होगा, क्योंकि हमारी उपजाऊ भूमि की फसलें व फूलों के बागान खराब हो जा रहे हैं, व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और गांव वालों पर इस भट्टे के प्रदूषण द्वारा बुरा असर पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध करते है कि हम लोगों की शिकायत दर्ज कर इस भट्टे के खिलाफ कार्यवाही कर भट्टे को बंद कराने की कृपा करें।

दिनांक → 22/05/2023

शिकायतकर्ता
मखाई पुर ग्राम वासी व अन्य
क्षेत्रीय ग्राम वासी
प्रतिनिधि -नयाब
मो0 न0-9670134643
ग्राम- अकबरपुर
पोस्ट-इब्राहिमपुर
जिला व तहसील- कन्नौज
(उत्तर प्रदेश)
पिन कोड- 20 9727

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
280, एन0एच0–19, रनियां कानपुर देहात–20930

Ref no. 2581/IB/H-14/2023 **Dated** 04/09/2023

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi,
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:-**Submission of Joint Committee Report in compliance of order dated 04.08.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 483/ 2023 in the Matter of "Nayab & others Vs State of Uttar Pradesh."**

Sir,

In compliance of order dated 04.08.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 483/2023 in the Matter of "Nayab & others Vs State of Uttar Pradesh.", the report of Joint committee is being filled herewith after approval form competent authority.

It is requested that the Joint Committee report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Your Faithfully,

Encl: As above,

(Ashutosh Pandey)
Regional Officer (Inch.)

Scanned with OKEN Scanner

Report of Joint Committee in Compliance to the Hon'ble NGT order dated 04/08/2023 in Original Application No. 483/2023 in the Matter of "Nayab & others Vs State of Uttar Pradesh.".

1.0 Permeable:

The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 04/08/2023 in the matter of Nayab & others Vs State of Uttar Pradesh. has constituted a joint committee of State PCB, UP and District Magistrate, Kannauj for verification of factual position. The copy of reference NGT order is annexed as **Annexure-1.**

The relevant para of said order, is reproduced hereunder:

"..In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Kannauj and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance".

2. Proceedings

<u>Order of the Hon'ble National Green Tribunal Dated 04/08/2023</u>

In compliance of the referenced NGT order, the committee was constituted comprising of following members:

1. Sh.Chandra Shekhar, AEE, UPPCB, Kanpur Dehat Representative of UPPCB (Representative of R.O. UPPCB, Kanpur Dehat)
2. Sh.Avinash Kumar Gautam, SDM, District-Kannauj (Representative of DM, Kannauj)

3. Site Inspection:

In accordance to the referenced order of Hon'ble NGT, inspection of M/s H.M. Brick Kiln, Kannauj Road, Village-Makhaipur, Kusumkhor, District Kannauj, Uttar Pradesh was carried out on August21, 2023. During inspection, Project Proponent (Sh. Umar, Munim) was available at site. UPPCB has informed complainant to be present during the inspection time by mobile & SMS but complainant Nayab was not presented at site.

Scanned with OKEN Scanner

4. Salient Observations

The Committee visited M/s H.M. Brick Kiln, Kannauj Road, Vill- Makhaipur, Post- Kusumkhor, District Kannauj, Uttar Pradesh and the observations made by the committee are summarised as under:

1. During visit, the brick kiln was found non-operational. It is informed by the Brick Kin representative that the brick kiln is not operational since June 21, 2022.
2. It is informed that the brick kiln was established in October, 2021.
3. It is informed that installed capacity of Brick Kiln is 20, 000 bricks/day. During visit, approx.09 lakh bricks were lying at the brick kiln.
4. The brick kiln has not obtained "No Objection Certificate"(NOC) for establishment of Brick Kiln.
5. The brick kiln not having consent to operate under the Water and Air Act from UPPCB.
6. The brick kiln is rectangular in shape and installed ID fan with capacity 10 HP.
7. During visit, committee observed that brick kiln has not installed ladder, monitoring platform & porthole at the stack.
8. The Brick kiln is using coal, wood and wheat dust as fuel. Emission from the kiln is emitted through stack of height approx. 115 ft.
9. The Brick Kiln has 02 borewells to meet its fresh water requirement. No flow meter is installed at borewells.
10. As informed, the Brick Kiln has obtained permission from Mining department. The Brick Kiln has submitted royalty of amount 1,71,290/- to mining department for the year of 2022-23.
11. As per the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012, No license in respect of firing of brick kiln or for mining lease shall be granted by Zila Panchayat/concern district administration until and unless a valid previous consent (NOC) from UPPCB is obtained by the owner of the brick kin.
12. UPPCB has issued notice to Brick Kiln on 14.04.2022 for non operation of brick kiln without CTE/CTO from SPCB, which is not complied by the Brick Kiln owner and has operated brick kiln till June 20, 2022 illegally. So UPPCB has issued Closure order on 29.09.2022. Copy of the notice & closure order is annexed as **Annexure-2.**
13. Lekhpal, Kusumkhor, Bangar has measured the distance of nearby village from Brick Kiln. Copy of the report is annexed as **Annexure-3.** Distance and direction of residential area, School, PWD Road, nearby Brick kiln from Brick Kiln are as below:

Scanned with OKEN Scanner

S. No.	Siting Criteria	Distance(approx.)	Direction from Brick Kiln	The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012
1.	Distance from residential area	• Akbarpur Mjre, Kusukkhor - 1.5Km • Makhaipur-800m • Kumharanpurwa-02 Km	North-East South North-West	01 km
2.	Distance from School	Primary School, Makhaipur-800 m	South	01 km
3.	Distance from PWD Road	Kannauj to Kumharpurwa Road- 75m	North	100 m
4.	Distance from nearby Brick kiln	Dildar Brick Field- 650m	North-East	800 m

14. It is evident from above, Brick Kiln is not meeting distance criteria as per The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012.

5. **Recommendations:**

1. The Brick Kiln may be imposed environmental compensation by SPCB for operation without consent to operate.

2. The Brick Kiln should not be allowed to operate as the Brick Kiln is not established as per the Siting criteria of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012,. District Administration, Kannauj and Superintendent of Police Kannauj should ensure closure of the brick kiln in compliance of closure order issued by UPPCB.

Scanned with OKEN Scanner

6. **Inspection Team:**

Name of the Committee Members and Department	Signature
Sh. Chandra Shekhar, AEE, UPPCB, Kanpur Dehat Representative of UPPCB (Representative of R.O. UPPCB, Kanpur Dehat)	[signature]
Sh. Avinash Kumar Gautam, SDM, District Kannauj (Representative of DM, Kannauj)	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - 1

Item No. 04 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 483/2023

Nayab & Ors. Applicant(s)

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 04.08.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a letter petition received by Post

ORDER

1. The grievance in the present application is regarding establishment and operation of Brick Kiln M/s. H.M. ENT Bhatta at Kannauj Road, Kusumkhor, Tehsil and District Kannauj, Uttar Pradesh in 2021 illegally without obtaining NOC, in violation of siting criteria and environmental norms which is causing environmental pollution, creating health risks to the students and residents of the locality and adversely affecting agriculture and horticulture.

2. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute

Scanned with OKEN Scanner

a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Kannauj and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 20.11.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the UPPCB and DM, Kannauj by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 04, 2023
Original Application No. 483/2023
DV

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में जाँच आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज का दिनांक 28.11.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज के मुनीम श्री रहीस खॉ मौके पर उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा पर भट्ठा का संचालन नहीं पाया गया। मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व कन्नौज के मुनीम श्री रहीस खॉ को निर्देशित किया गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन ईंट भट्ठा का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द रखना सुनिश्चित करें।

Sandesh
28/11/2023

(संदेश कुमार पटेल)
खान अधिकारी,
कन्नौज।

मै0 एच0एम0 ईंट भट्ठा, ग्राम–मखाईपुर, पोस्ट–कुसुमखोर, तहसील व जनपद–कन्नौज को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बंदी आदेश एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश के अनुपालन सम्बन्धी आख्या।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 82546/सी–2/वायु–165/बंदी आदेश/22 दिनांक 29.09.2022 द्वारा मै0 एच0एम0 ईंट भट्ठा, ग्राम–मखाईपुर, पोस्ट–कुसुमखोर, तहसील व जनपद–कन्नौज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–483/2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा आज दिनांक 30.11.2023 को उक्त ईंट भट्ठे की बंदी सुनिश्चित करायी गयी तथा उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को उक्त बंदी आदेश का अनुपालन अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया।

30.11.2023
प्रयोगशाला सहायक
उ0 प्र0 प्रदूषण नि0 बोर्ड
कानपुर देहात

30.11.2023
सहायक पर्यावरण अभि0
उ0 प्र0 प्रदूषण नि0 बोर्ड
कानपुर देहात

30/11/2023
उप जिलाधिकारी
सदर कन्नौज

प्रति प्राप्त किया

रहीस खाँ (मुनीम)
30/11/23
H. M. Brick Field

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का किये गये निरीक्षण की स्थलीय जाँच आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का दिनांक 28.11.2023 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा पर भट्ठा का संचालन नहीं पाया गया। मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज के मुनीम श्री रहीस खॉ को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—483/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन ईंट भट्ठा का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश 20.11.2023 के क्रम में पुनः आज दिनांक 13.12.2023 को मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

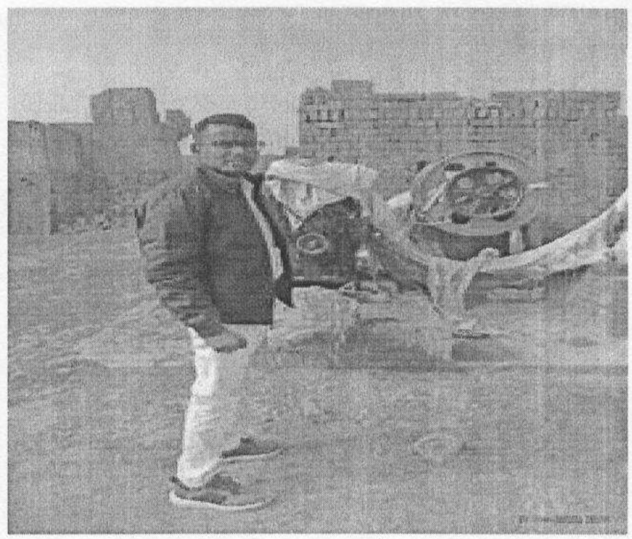

निरीक्षण के समय उक्त ईंट भट्ठा का संचालन नहीं पाया गया। मेसर्स एच0एम0 ब्रिक फील्ड, ग्राम मखाईपुर, पोस्ट कुसुमखोर बाँगर, तहसील व जनपद कन्नौज के प्रतिनिधि/मुनीम श्री रहीस खॉ को ईंट पथाई का कार्य कदापि न किये जाने एवं ईंट भट्ठा का संचालन बन्द रखने हेतु पुनः निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा दिनांक 30.11.2023 को ईंट भट्ठा पर जारी बन्दी आदेश के क्रम में ईंट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी है।

13/12/2023

(संदेश कुमार पटेल)
खान अधिकारी,
कन्नौज।

MO

ADM(F/R)
KNJ